"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 201] नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 अप्रैल 2026 — वैशाख 4, शक 1948

आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10 अप्रैल 2026

अधिसूचना

क्रमांक GENS-14/15/2025-Tribal Section.— विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 20–2/2009/25–2 दिनांक 08–11–2024 द्वारा गठित छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद में श्री रामनाथ कश्यप, श्री रघुराज सिंह उइके, श्री वेदप्रकाश भगत एवं श्री कृष्ण कुमार वैष्णव का कार्यकाल उप नियम 4(1) अनुसार पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद नियम, 2006 के उप नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा निम्नांकित को छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद के सदस्य के पद पर पुनः मनोनीत करता है :–

1. श्री रामनाथ कश्यप, प्रांत संगठन मंत्री, रोहणीपुरम् रायपुर।
2. श्री रघुराज सिंह उईके, ग्राम–सिरली, जिला–कोरबा।
3. श्री वेदप्रकाश भगत, ग्राम–पण्डरीपानी, जिला–जशपुर।
4. श्री कृष्ण कुमार वैष्णव, रोहणीपुरम रायपुर।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.